न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 63/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/28**
दायर दिनांक :– 08.03.2022 **निर्णय दिनांक :– 23.10.2024**

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
कुलदीप चौधरी पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी प्लोट नं. 11 खसरा नम्बर 55/6 सारणनगर सी रोड़, जोधपुर		01. ABC Renewable energy (Rj01) प्रा. लि. कार्यालय पी.एम.आर. प्लाजा 1st फ्लोर सोमजीगुड़ा हैदराबाद, तेलंगाना 02. श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य से पश किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को कब्जा काश्त से बेदखल दिया जाता है तो उससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी के पिता को ग्राम बड़ी सिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 285 में से रकबा 50–00 बीघा भूमि सिलिंग में अवाप्त भूमि में से दिनांक 13/06/1976 को आवंटन हुई थी। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 285/1 रकबा 91.1351 हैक्टेयर है। वर्तमान जमाबन्दी आवंटन आदेश व नक्शा ट्रेस सलंग्न प्रार्थना पत्र पेश है। राज्य सरकार द्वारा सीलिंग में अ[illegible] भूमि के आवंटन के लिये ग्राम बड़ी सिड में आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था। उक्त आवंटन सलाहकार समिति ने पूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन की। दिनांक 17/06/1976 को बड़ीसिड में आवंटन सलाहकार समिति ने खसरा नम्बर 285 में से रकबा 50 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता बस्तीराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:19:37 IST
Reason: SelfAttested

A 23.10.24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

त्रिलोकराम को आवंटन की और उसी दिन आवंटन सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही भी पूर्ण कर दी गई और मौके पर कब्जा भी प्रार्थी के पिता को आवंटन अनुसार सुपुर्द कर दिया था तथा प्रत्येक वर्ष आवंटित भूमि काश्त करने हेतु प्रार्थी गांव के लोगो को इजारे पर देता था। आवंटन अनुसार पटवारी हल्का ने प्रार्थी के पिता के नाम से अमलदरामद नहीं जबकि उक्त आवंटनसुदा भूमि प्रार्थी के पिता का अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक कब्जा व काश्त रहा तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रार्थी का आवंटन अनुसार कब्जा व काश्त है। वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, फलोदी ने पूर्व में सिलिंग में अवाप्त भूमि को सिलिंग मुक्त कर दिया है और उक्त भूमि पूर्व खातेदारों के नाम दर्ज करदी गई थी और वर्तमान में पूर्व खातेदारों ने अप्रार्थी सं. 1 को बैचान कर दी है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी को उसकी आवंटनसुदा भूमि से बेदखल करना चाहते है और अपने इसी उद्देश्य से दिनांक 02/02/2022 को अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिनिधि एवं पूर्व खातेदारों ने प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त भूमि सिलिंग मुक्त हो चुकी है और वर्तमान में अपने खरीद ली है आप उक्त भूमि से कब्जा खाली करदो नहीं तो हम तुम्हे उक्त भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल कर देंगें। उस दिन तो प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिनिधि एवं पूर्व खातेदारों को समझा बुझा कर निकाल दिया लेकिन जाते हुए अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिनिधि एवं पूर्व खातेदारों ने धमकी दी कि आइन्दा पुनः आकर तुम्हारी खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर लेंगे। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिनिधि एवं पूर्व खातेदार अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिनिधि एवं पूर्व खातेदार अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा। जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थी गरीब एवं असहाय है तथा अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिनिधि व पूर्व खातेदार साधन संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका मुकाबला करने में प्रार्थी असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिनिधि एवं पूर्व खातेदारों को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम बड़ीसिड पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 285/1 रकबा 91.1351 हैक्टेयर भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिनिधि स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की [illegible] उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा [illegible] काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी [illegible] इत्यादि का अवलोकन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:19:37 IST
Reason: SelfAttested

गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड के खाता संख्या 2 सम्वत् 2076–79 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि पर सोलर कार्य कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के अभिलिखित काश्तकार होने के कारण उपयोग का स्वतंत्र अधिकार है। अभिलिखित खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 जारी की जाती है तो अप्रार्थी को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा सोलर कार्य आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा के संतुलन के दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:19:37 IST
Reason: SelfAttested

23.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)
23.10.24

(सुखाराम पिण्डेल आर ए एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:19:37 IST
Reason: SelfAttested